संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

द्वितीय खण्ड, चौथी मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
वेब साइटः http://agriportal.cg.nic.in/horticulture/HortiHi/
फोन- 0771-2433001, फेक्स- 2433002
ईमेलः dir.horti-cg@nic.in

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक/उद्यान/स्था.3/2022-23/ 4609 रायपुर, दिनांक 3/10/2022

"आदेश"

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर छ.ग. के पत्र क्रमांक-पुअ/एसीबी/डीएसपी/बीके/क्यू/2022 दिनांक 30.09.2022 के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 30.09.2022 को श्री पोषण बघेल पिता-स्व.श्री ईश्वर सिंह बघेल ग्राम मेहरसखा, चौकी,सिलियारी जिला-रायपुर छ.ग की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए श्री परमजीत सिंह गुरूदत्ता वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, छोकरानाला परिसर, कार्यालय उप संचालक उद्यान जिला-रायपुर को प्रकरण सदर में दिनांक 30.09.2022 को समय 17.15 बजे विधिवत गिरफ्तार किया जाकर माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर के न्यायालय में दिनांक 30.09.2022 को पेश किया गया।

अतः छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 में निहित प्रावधान के अनुसार श्री परमजीत सिंह गुरूदत्ता वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय उप संचालक उद्यान जिला रायपुर को दिनांक 30.09.2022 से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री परमजीत सिंह गुरूदत्ता वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी का मुख्यालय कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला-सुकमा रहेगा।

निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(मोथेश्वरन वी.)
भा.व.से.
संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
छ.ग. रायपुर

पृ. क्र./उ./स्था.3/2022-23/ 4610 रायपुर, दिनांक : 3/10/2022

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. स्टॉफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर।
2. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला- रायपुर/सुकमा।
3. पुलिस अधीक्षक एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर छ.ग. की ओर पत्र क्रमांक-पुअ/एसीबी/डीएसपी/बीके/क्यू/2022 दिनांक 30.09.2022 के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर/सुकमा।
5. उप संचालक उद्यान, जिला-रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सहायक संचालक उद्यान, प्रमुख उद्यान रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सहायक संचालक उद्यान, जिला - सुकमा ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री परमजीत सिंह गुरूदत्ता वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी निलंबित द्वारा उप संचालक उद्यान जिला-रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. स्टेनों शाखा संचालनालय।
10. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
छ.ग. रायपुर

D:\Pradeep\Establisment\Nilamban\Adesh.doc